दिनांक 22 फरवरी, 2010 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ. सीएचडी सं.1825/ 04.07.05/2009-2010 का अनुलग्नक

चेक फार्मों के लिए " सीटीएस – 2010 " मानक – विशिष्टताएं

1. **अनिवार्य लक्षण**

1.1 **कागज़ (विनिर्माण के स्तर पर)**

जैसा कि अभी है, कागज की विशिष्टताओं के बारे में यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। विशिष्टताओं का विवरण " मैकेनाइज्ड चेक प्रोसेसिंग यूजिंग एमआइसीआर टैक्नोलाजी – प्रोसीजरल गाइडलाइन्स " नामक दस्तावेज़ में दिया गया है। यह http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=4551 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कागज़ छाया (image) के अनुकूल होना चाहिए और एसिड़, अल्कली, ब्लीचिज़ तथा सौल्वेंट के प्रति रासायनिक रूप से संवेदनशील होने के कारण परिवर्तनों के विरूद्ध सुरक्षित होना चाहिए और कपटपूर्ण चेष्टा करने पर इसका स्पष्ट परिणाम दिखलाई देना चाहिए। सीटीएस 2010 मानक कागज़ अल्ट्रा-वायलेट (यूवी) स्याही के नीचे चमकना नहीं चाहिए अर्थात् यह यूवी डल होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी बैंकों में चेकों का स्पर्श (feel) एक समान हो।

1.2 **वाटरमार्क (विनिर्माण के स्तर पर):**

सभी चेकों पर एक मानक वाटरमार्क होना चाहिए जिसमें "सीटीएस- इंडिया" शब्द हो जिसे रोशनी के सामने रखने पर देखा जा सकता हो। इससे धोखेबाज के लिए किसी लिखत की फोटोकापी करने या उसका मुद्रण करने में कठिनाई होगी क्योंकि यह काग़ज केवल चेक मुद्रण करनेवाले सुरक्षा मुद्रकों को ही उपलब्ध होगा। वाटरमार्क अण्डाकार होना चाहिए और व्यास 2.6 से 3.0 सैमी तक हो सकता है। प्रत्येक चेक पर कम से कम एक पूरा वाटरमार्क होना चाहिए। सीटीएस में उपयोग किए जाने वाले नमूना वाटरमार्क को आइबीए/एनपीसीआई के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा और (उदाहरण के तौर पर) यह इस प्रकार हो सकता है -

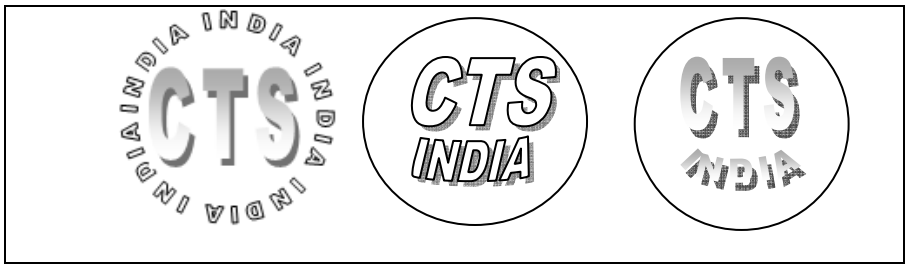

1.3 **<u>VOID पैटोंग्राफ (मुद्रण के स्तर पर):</u>**

चेकों में पैंटोग्राफ शामिल किया जाएगा जिसमें "COPY" या "VOID" विशेषता छिपा हुआ रहेगा । यह विशेषता सीटीएस में निर्धारित रैज़ोल्यूशन पर स्कैन की गई छाया (इमेज) में नहीं दिखना चाहिए लेकिन फोटोकापी और स्कैन की गई रंगीन छाया (इमेज) में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में प्रयुक्त रेज़ोल्यूशन निर्धारित सीटीएस मानकों से अधिक होगा। यह चेक की रंगीन फोटोकापी करने या स्कैन की गई रंगीन छाया (image) को रोकने का काम करेगा।

1.4 **<u>अदृश्य स्याही के साथ मुद्रित बैंक का लोगो (पराबैगनी स्याही)</u>:** (मुद्रण के स्तर पर) बैंक का लोगो पराबैगनी स्याही (यूवी) में मुद्रित किया जाएगा। लोगो यूवी युक्त स्कैनर/लैम्प में दिखाई देना चाहिए। यह चेक के असली (genuine) होने को सिद्ध करेगा।

1.5 **<u>चेक पर स्थान नियोजन:</u>**

चेक फार्मों पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों का स्थान नियोजन किया जाएगा। तथापि, अतिरिक्त क्षेत्रों को रखने के बारे में बैंक स्वयं निर्णय ले सकते हैं। यह आफलाइन मोड में ओसीआर/आईसीआर इंजिनों द्वारा डेटा ग्रहण करने और बैंको को भुगतान प्रक्रिया स्वचालित करने में सहायता करेगा। सिफारिश किए गए स्थान नियोजन सहित एक नमूना चेक नीचे 4 पर दिया गया है।

1.6 **फार्मों का रंग और पृष्ठभूमि तय करना:**

चेकों के लिए हल्के/पेस्टल रंगों अनिवार्य होंगे ताकि प्रिंट/डायनैमिक कन्ट्रास्ट अनुपात (पीसीआर/डीसीआर) 60% से अधिक हो जिससे छाया (images) की बेहतर गुणवत्ता और Content सुनिश्चित की जा सकेगी। आइबीए/एनपीसीआई

के साथ परामर्श करके रंगों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

1.7 **स्पष्ट (क्लटर फ्री) पृष्ठभूमि**

चेकों की पृष्ठभूमि जहां तक संभव हो, स्पष्ट रखी जाएगी ताकि छाया (image) की गुणवत्ता तथा स्पष्टता में सुधार हो।

1.8 **चेकों पर परिवर्तन करने/त्रुटि सुधार की मनाही:**

चेकों पर कोई भी परिवर्तन/त्रुटि सुधार नहीं किया जाना चाहिए (यदि आवश्यक हो, तो केवल तारीख को वैध किया जा सकता है)। आदाता के नाम, कर्टसी राशि (अंकों में राशि) या वैधानिक राशि (शब्दों में राशि), आदि में परिवर्तन के लिए, ग्राहकों द्वारा नए चेक फार्मों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे बैंकों को कपटपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करने और उन पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।

1.9 **खाता फील्ड का मुद्रण:**

जहां तक संभव हो, खाता संख्या फील्ड पहले ही से मुद्रित करके चेकों को जारी किया जाना चाहिए। इसे चालू खाता धारकों तथा कंपनी ग्राहकों के लिए अनिवार्य समझा जाना चाहिए।

1.10 **चेक इमेज पर यूवी का प्रयोग:**

हालांकि जालसाजी तथा नकली चेकों के रोकने के लिए यूवी स्याही में बैंक का लोगो एक सशक्त साधन है लेकिन इस को कार्यान्वित करने में बढ़ा इमेज आकार, सीटीएस परिवेश में यूवी प्रौद्यौगिकी की स्थिरता, यूवीयुक्त स्कैनरों की उपलब्धता, आदि को लेकर चुनौतियां हैं । तथापि, कमियों के मुकाबले इसके लाभ कहीं अधिक हैं और इसलिए इस विशेषता को शामिल किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता बैंक करेंसी नोट सत्यापन के लिए उपलब्ध यूवी लैम्प का प्रयोग करते हुए एक न्यूनतम राशि से अधिक के चेकों के लिए यूवी सत्यापन कर सकते हैं। यदि बाद में यूवी प्रौद्योगिकी में स्थिरता आती यूवी इमेज को है, तो एक अतिरिक्त इमेज व्यू के रूप में को जोड़ कर या किसी वर्तमान इमेज की जगह पर इसे सीटीएस में शामिल किया जा सकता है।

2. <u>वांछनीय विशेषताएं</u>

2.1 उपर्युक्तनुसार अनिवार्य सुरक्षा विशेषताओं के अतिरिक्त, बैंक अपने जोखिम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा विशेषता जैसे कि (i) अपने लोगो संबंधी अनुपूरक वाटरमार्क, (ii) अन्तर्निहित फ्लोरेसेंट फाइबर्स, (iii) फ्यूगिटिव स्याही, (iv) द्वितीयक फ्लोरेसेंट स्याही, (v) माइक्रो लैटरिंग, (vi) टोनर फ्यूजिंग, (vii) चेक-सम, (viii) पैटर्न, (ix) फ्लोरल डिजाइन, (x) ब्लीडिंग स्याही, (xi) स्ट्रक्चरल मैगनेटिक्स, (xii) सीक्यूरिटी थ्रेड (xiii) मल्टीसिटी चेकों तथा डिमांड ड्राफ्टों पर हाट स्टैम्पड होलोग्राम, (xiv) औटो-डिटेक्शन टूल, (xv) चेक के संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि लीगल ऐमाउंट रैकोग्निशन (शब्दों में राशि), कर्टसी एमाउंट रैकोग्निशन (अंकों में राशि), हस्ताक्षर, हिताधिकारी का नाम, आदि पर यूवी बैंड का उपयोग (xvi) ग्राहकों को जारी करने से पहले मांग ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों (एक स्वनिर्धारित कट-आफ राशि से अधिक) के लिए एमआइसीआर बैंड पर राशि के फील्ड की पहले से ही एन्कोडिंग, (xvii) मांग ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों के मुख पर (एमआइसीआर बैंड से इतर), चेक- सम का प्रयोग, इत्यादि के बारे में विचार कर सकते हैं।

2.2 **बैंकों द्वारा अतिरिक्त विशेषताओं का प्रयोग** सीटीएस आवश्यकताओं के अनुरूप (compatible) होने की शर्त के अधीन होगा। अतिरिक्त विशेषताओं को शामिल करते समय, बैंक यह ध्यान रखें कि -

i) अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं निर्धारित की गई न्यूनतम सुरक्षा विशेषताओं से अतिव्यापन नहीं करतीं या उनके बहुत निकट नहीं हैं या उनके विरूद्ध नहीं हैं।
ii) ये विशेषताएं सीटीएस विशेषताओं के अनुरूप (compatible) हैं।
iii) ये विशेषताए इमेज हैवी नहीं हों अर्थात इमेज का आकार नहीं बढ़ाए।
iv) वे इमेज पर किसी महत्वपूर्ण डेटा को बाधित नहीं करतीं या भुगतान प्रसंस्करण में व्यवधान नहीं डालतीं।
v) प्रस्तुतकर्ता बैंकों से इन अतिरिक्त विशेषताओं का सत्यापन करना अपेक्षित नहीं है।

3. <u>कार्यान्वयन विधि</u>

3.1 आईबीए तथा एनपीसीआई को संयुक्त रूप से अतिरिक्त/वैकल्पिक सुरक्षा विशेषताओं के सत्यापन का काम सौंपा जाएगा। आइबीए तथा एनपीसीआई यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों को जारी करने से पहले अतिरिक्त/वैकल्पिक विशेषताएं सीटीएस तथा एमआईसीआर समाशोधन योजनाओं के अनुरूप (compatible) हैं।

3.2 नए सुरक्षा मानक उपलब्ध कराने में सक्षम विक्रेताओं की सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व आइबीए तथा एनपीसीआई को सौंपा जाएगा।

3.3 सीटीएस में यूवी इमेज का प्रयोग फिलहाल रोक दिया गया है। एक बार यूवी प्रौद्योगिकी के स्थिर हो जाने पर निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

4. <u>नमूना चेक का लेआउट:</u>

4.1 चेक का लेआउट तथा ऊपर निर्धारित विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं का स्थान निम्नानुसार होगा -

Sample Cheque Leaf